न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर(ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 181 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 314

प्रार्थी

धनराज वैष्णव पुत्र हापूदास, जाति वैष्णव, निवासी ग्राम खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां, हाल डी–43, राजीव नगर, महामंदिर तीसरी पोल के बाहर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मनोहरराम पुत्र रामूराम, जाति विश्नोई, निवासी अस्पताल रोड़, ओसियां, जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत ओसियां।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा आदेश दिनांक अस्पष्ट व निरस्त करने पट्टा विलेख संख्या 37 दिनांक 07.06.2002 जो मिसल संख्या 209 / 20.09.2001 में सरपंच ग्राम पंचायत ओसिया द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री सत्यनारायण राजपुरोहित (प्रार्थी)।
2. अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक :–20.08.2024**

प्रार्थी ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा विलेख संख्या 37 मिसल संख्या 209 / 20.09.2001 दिनांक 07.06.2002 ग्राम पंचायत ओसियां जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु पेश की है। पंचायत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ओसियां से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 31.07.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनांक 20.08.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

पंचायत निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का रजिस्टर्ड बेचान से खरीदसुदा भू[illegible] 25 [illegible] ओसियां स्टेशन तिंवरी जोधपुर रोड़ पर स्थित हैं। उक्त प्लॉट प्रार्थी ने [illegible] से जरिये आम मुख्तयार खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

किया। प्रार्थी ने उक्त प्लॉट के सम्बन्ध में पट्टे के लिए ग्राम पंचायत में आवेदन किया तो ग्राम पंचायत ने बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जो पट्टा जारी किया गया हैं उसमें प्रार्थी का भूखण्ड भी शामिल हैं इसलिए प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर निगरानी पेश की।

प्रार्थी ने बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की भूमि को शामिल करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम का पट्टा जारी करने में भारी भूल की हैं। पट्टे में जो पूर्व का पड़ौस भोजाराम जी चौधरी का मकान बताया गया है, वह गलत है। वास्तविकता में पूर्व में मौके पर प्रार्थी का भूखण्ड हैं एवं उससे आगे गली हैं व उसके आगे भोजाराम चौधरी का मकान हैं। पंचायत ने 10640 वर्गफुट का पट्टा अप्रार्थी के नाम जारी करने में भारी भूल की हैं। इतना बड़ा पट्टा पंचायत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता हैं। पट्टे में जो पूर्व की तरफ की भूमि दर्शाई गई है, वह प्रार्थी के मालिकाना हक व स्वामित्व की है। पंचायत ने बिना कोई प्रक्रिया अपनाये आनन–फानन में पट्टा जारी कर दिया। दिनांक 20.09.2001 को मिसल पेश हुई तथा दिनांक 05.11.2002 को प्रकरण निर्णित कर दिया गया। वास्तविकता में देखा जावें तो पूरी आदेशिका एक ही दिन में ही लिखी गई हैं। तारीखे बाद में अलग–अलग दी गई हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही कानून को ताक पर रखकर की गई। इतने बड़े भूखण्ड का पट्टा आपस बातचीत में नही जारी किया जा सकता था। इस संबंध में नीलामी की कार्यवाही किया जाना आवश्यक था। यदि नीलामी की जाती तो ग्राम पंचायत को भूखण्ड से लगभग 20–25 लाख रूपये की आमदनी होती लेकिन पंचायत ने आपसी बातचीत में मात्र 9880/– रूपयें की राशि में अप्रार्थी के नाम से पट्टा जारी कर दिया, जो उचित व न्याय संगत नहीं हैं।

पट्टासुद भूखण्ड के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 का पूर्व में कोई क्लेम नहीं था। मौके पर आज भी भूखण्ड खाली पड़ा है इसलिए खाली भूखण्ड का पट्टा आपसी बातचीत के जरिये नहीं दिया जा सकता हैं।

पंचायत एक्ट के प्रावधानों के तहत जो नियम व कार्यवाही है, इस बाबत् न तो विधिवत बैठक बुलाई गई, न ही नोटिस चस्पा किये गये, न ही पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, न ही सार्वजनिक रूप से उद्घोषणा की गई। इस प्रकार यह पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया हैं। पट्टे की पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि इस भूखण्ड पर अप्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

अन्य किसी तरीके से कोई क्लेम हो। पंचायत ने यह भी उल्लेखित नहीं किया हैं कि सार्वजनिक तौर पर खाली भूखण्ड की नीलामी के स्थान पर आपसी बातचीत से पट्टा क्यों दिया गया? ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एवं पंचायत को भारी राजस्व हानि हुई है। प्रार्थी ने उपरोक्त खरीदसुदा भूखण्ड सन् 2013 से पप्पू माहेश्वरी चाण्डक टेन्ट हाऊस, ओसियां को टेन्ट का सामान इत्यादि देने के लिए दे रखा है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी की सहमति से पप्पू माहेश्वरी का टेन्ट का सामान पड़ा हुआ हैं। जिसका फोटोग्राफ पेश किया गया है। इस प्रकार उक्त सम्पति प्रार्थी के मालिकाना हक, कब्जे एवं आधिपत्य की हैं, जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से जारी नहीं किया जा सकता था। उक्त पट्टा भगवान राठी सरपंच द्वारा जारी किया गया था, जिनके खिलाफ ए.सी.बी. में केस भी बना एवं अधिकांश पट्टे जो भगवान राठी द्वारा जारी किये गये जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी गई, वे निरस्त हुए। यह पट्टा भी गलत तरीके से जारी हुआ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रथमतः मूल मिसल के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रपत्र संख्या 22 के तहत आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रित करने की सूचना का जो नोटिस जारी किया गया, जिसकी पुष्ट पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा आपत्तियां आमन्त्रित करने की सूचना चस्पा नहीं की गई। द्वितीयतः मिसल में सलंग्न जो नक्शा है उसमें किसी प्रकार के पड़ौस अंकित नहीं है और नाप 7500 वर्गफुट, 5200 वर्गगज अलग–अलग लिखे हुए है जबकि पट्टे की पुष्ट पर 10640 वर्गफुट लिखा हुआ है। तृतीयतः मिसल के आवेदन का अवलोकन करने से पता चलता है कि आवेदन मनोहरराम पुत्र रामूराम, कालीदेवी पत्नी रामूराम, मीरादेवी पत्नी मनोहरराम, नन्दकिशोर पुत्र मनोहरराम व राधेश्याम पुत्र मनोहरराम द्वारा आवेदन किया गया जबकि पट्टा मनोहरलाल को ही जारी किया गया। मिसल की अन्तिम आदेशिका में प्रार्थीयों को नियम 158 के अन्तर्गत नियमानुसार पट्टा फीस लेकर प्रार्थी को पट्टा जारी किये जावे लिखा गया है जबकि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के नियम 158 के अन्तर्गत भूमियों का कमजोर वर्गों का आवंटन का प्रावधान है हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा बेशकीमती जमीन पट्टा अप्रार्थी मनोहरराम को मात्र 9880 राशि लेकर प्रदान कर दी गया। अप्रार्थी मनोहरलाल को

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय से नोटिस जारी किया गया जो विधिवत् तामिल हुआ। इसके पश्चात् अप्रार्थी को न्यायहित में जवाब व बहस हेतु कई अवसर प्रदान किये गये इसके उपरान्त भी अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की पंचायत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी मनोहरराम पुत्र रामूराम, जाति विश्नोई को ग्राम पंचायत ओसियां द्वारा जारी पट्टा संख्या 37 मिसल संख्या 209 / 20.09.2001 दिनांक 07.06.2002 निरस्त योग्य होने से निगरानीधीन पट्टा निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ ग्राम पंचायत को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.09.03 17:38:04 IST
Reason: SelfAttested